केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या०)
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016.
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQs)
An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India
18, Institutional Area, S.J.S.Marg, New Delhi-110016.
Tel.:011-26521841
Website: www.kvsangathan.nic.in

फ.110333/2024-25/के.वि.सं.(मु.)/शैक्षिक/आगरा /1365 दिनांक 26.12.2023

उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
आगरा संभाग (Agra Region)

विषय: सत्र 2024-25 में केन्द्रीय विद्यालयों की स्टाफ स्ट्रेन्थ (कक्षाओं एवं कार्मिकों की संख्या को बढ़ाने एवं घटाने) के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक staff strength के online web portal के माध्यम से सत्र 2024-25 के लिए कक्षाओं की स्वीकृति हेतु आपके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के संदर्भ में अवगत कराया जाता है कि प्राप्त प्रस्ताव पर विचार के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा आपके संभाग के निम्न तालिकबद्ध केन्द्रीय विद्यालयों में सेक्शन बढ़ाने एवं घटाने की अनुमति सत्र 2024-25 के लिए प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	के.वि. का नाम	सत्र 2024-25 के लिए कक्षाएँ/सेक्शन बढ़ाने/घटाने की अनुमति
1	KNN Ghaziabad (Shift-I)	Reduced one section in class-I.
2	Hathras	Sanctioned 2nd section from class-I to V in each and one section in Class-XI(Sc.).
3	Baoli, Baghpat	Sanctioned 2nd section from class-I to V in each and one section in Class-XI(Sc.).
4	SSG, CISF, Surajpur, Greater Noida	Sanctioned 2nd section from class-I to V in each and one section in Class-XI(Sc.).
5	Railway Idgah	Sanctioned one section in Class-X.
6	Muzaffarnagar (S-II)	Sanctioned 2nd section in Class-X.
7	Noida Sector-24 (S-II)	Sanctioned 2nd section in Class-XII(Hum.) and decreased one section in class-XI(Hum.). *(Afresh proposal may be sent for sanction of 2nd section in class-XI(Hum.)/XI(Sc.) after declaration of class-X Board result 2024, if required)*

अन्य केन्द्रीय विद्यालयों के सेक्शनों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कृपया संबन्धित उपायुक्त अनुवर्ती कार्रवाई हेतु, स्टाफ स्वीकृति के मानदंडों के अनुसार पूर्णतः जांच कर संतुष्ट होने के पश्चात ही वांछित आलेख (Proforma-A & Proforma-B), निम्नलिखित प्रमाण पत्र (Certificate) के साथ इस कार्यालय को अग्रिम कार्रवाई हेतु अधिकतम 10 दिनों की समयावधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

"It is certified that all the calculations are strictly as per staffing norms and there is no deviation."

1. समेकित प्रोफॉर्मा-A (Consolidated Proforma-A)- duly signed by the Deputy Commissioner of the Region.
2. आपके संभाग के अधीनस्थ समस्त केन्द्रीय विद्यालयों में स्टाफ स्वीकृति हेतु निर्गत किया जाने वाला Draft Proforma-B (Soft copy in Excel format).
3. इस पत्र के साथ संलग्न Excel Sheet में समेकित विवरण भी भरकर भेजें।

संबन्धित उपायुक्त व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर सुनिश्चित करें कि उपरोक्त डाटा/ आलेख (documents) जो के.वि.सं. मुख्यालय में भेजे जा रहे हैं वे पूर्णतः सही हैं। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखें कि जिन-जिन केन्द्रीय विद्यालयों में एक समान कक्षाएँ हैं वहाँ पर पदों कि संख्या भी नियमानुसार, यथासंभव समान होनी चाहिए।

भवदीय

(एन आर मुरली)
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

संलग्नक : यथोपरि।

PRIORITY.
JSA (SK)
27/12/23

प्राचार्य,
केन्द्रीय विद्यालय
एस.एस.जी. सी.आई.एस.एफ परिसर,
ग्रेटर नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर